



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072025-264669
CG-DL-E-15072025-264669

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 10, 2025/आषाढ 19, 1947

No. 494]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 10, 2025/ASHADHA 19, 1947

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली 10 जुलाई, 2025.

सं. 5506/बीईई/एस&एल/एएल/2025-26—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ग) और (घ) के साथ पठित धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (झ) और (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ब्यूरो), केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (उपकरण लेबलिंग) विनियम, 2025 बनाने का प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित मसौदा विनियम एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) में यथाअपेक्षित, इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए और उनके सुझाव और आपत्तियां (यदि कोई हो) आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए जाते हैं; और एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा विनियमों पर भारत के राजपत्र, असाधारण में उनके प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, चतुर्थ तल, सेवा भवन, आर.के. पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली-110066 को डाक द्वारा तथा ईमेल helpdesk@beeindia.gov.in पर भेजा जा सकता है।

उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किसी भी व्यक्ति से उपर्युक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियों अथवा सुझावों पर विचार किया जाएगा।

मसौदा विनियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन विनियमों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (उपकरण लेबलिंग) विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अधिनियम" से तात्पर्य ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) से है;
- (ख) "लेबल" से तात्पर्य किसी मुद्रित सामग्री से है, जिस पर एक विशिष्ट संख्या अंकित होती है, जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबल विवरण) विनियम, 2025 में निर्दिष्ट उपकरण अथवा उपस्कर पर चिपकाया या प्रदर्शित किया जाता है;
- (ग) "लेबल वर्ष" से तात्पर्य उस वर्ष से है जिसमें उपकरण श्रेणी के लिए ऊर्जा प्रदर्शन मानदंड प्रभावी हुए;
- (घ) "परमिटधारक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे ब्यूरो द्वारा इस विनियम की अनुसूची 1 के अंतर्गत निर्दिष्ट उपकरणों या उपस्करों पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई है;
- (ङ) "व्यक्ति" से तात्पर्य किसी व्यक्ति, संघ या व्यक्तियों के निकाय, साझेदारी फर्म, सीमित देयता भागीदारी और कंपनी से है, चाहे वह निगमित हो या नहीं हो;
- (च) "स्टार रेटिंग या स्टार स्तर" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई संबंधित अधिसूचना के आधार पर उपकरण अथवा उपस्कर के लेबल पर प्रदर्शित ऊर्जा प्रदर्शन के स्तर से है।

(2) इसमें प्रयुक्त तथा परिभाषित नहीं किये गये, किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के तात्पर्य क्रमशः अधिनियम में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

3. उद्देश्य- इन विनियमों का उद्देश्य लेबल लगाने के लिए आवेदन करने और अनुमति देने की प्रक्रिया स्थापित करने और अनुपालन परीक्षण तथा लेबल शुल्क की व्यवस्था करने हेतु ऐसे लेबलों पर आवश्यक जानकारी के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क स्थापित करना है, जिसमें उनके विवरण, रीति और समय सीमाएं शामिल हैं।

4. प्रयोज्यता- ये विनियम, इस विनियम के साथ संलग्न अनुसूची I के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी उपकरणों अथवा उपस्करों पर लागू होंगे।

5. लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाले विवरण- (1) प्रत्येक उपकरण या उपस्कर पर, उसके लेबल पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित किए जाएंगे, अर्थात्:-

- क) लेबल की विशिष्ट संख्या;
- ख) उपकरण/उपस्कर का नाम;
- ग) ब्रांड का नाम;
- घ) मॉडल संख्या;
- ङ) ऊर्जा प्रदर्शन पैरामीटर;
- च) लेबल वर्ष;
- छ) रेटेड क्षमता;
- ज) स्टार स्तर या समर्थन;
- झ) वैधता
- ञ) उद्गम देश
- ट) उपकरण अथवा उपस्कर की क्रम संख्या, यदि लागू हो।

(2) लेबल का डिजाइन, रंग, आकार और सामग्री समय-समय पर संशोधित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबल विवरण) विनियम, 2025 में निर्दिष्ट अनुसार होगी।

6. लेबल प्रदर्शित करने की रीति- (1) प्रत्येक उपकरण या उपस्कर पर उपरोक्त विनियम 4 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना सहित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड सहित एक लेबल होगा।

(2) परमिटधारक यह सुनिश्चित करेगा कि लेबल:

- (क) आसानी से दिखाई दे; और
- (ख) विक्री के स्थान पर प्रत्येक पंजीकृत यूनिट या मॉडल पर प्रदर्शित हो; तथा
- (ग) यूनिट या मॉडल के पैकेजिंग बॉक्स पर मुद्रित या चिपकाया गया हो।

(3) त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड सहित लेबल स्वयं चिपकाने वाले पदार्थ का होना चाहिए। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबल विवरण) विनियम, 2025 के अनुसार अपेक्षित चिन्हांकन सुपाठ्य, अमिट और टिकाऊ होने चाहिए।

7. लेबल प्रदर्शित करने की समय सीमा- (1) **स्वैच्छिक से अनिवार्य व्यवस्था में परिवर्तन:** विनियम 4 के अनुसार, प्रत्येक उपकरण या उपस्कर पर लेबल, इन विनियमों या इस विनियम में संशोधन के प्रभावी होने की तिथि से छः माह के भीतर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) **अनिवार्य ऊर्जा प्रदर्शन मानक में संशोधन:** किसी उपकरण या उपस्कर के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित, संशोधित ऊर्जा प्रदर्शन मानक प्रभावी हो जाने पर, परमिटधारक:

क) समाप्त हो चुके मानक के अंतर्गत उपकरणों या उपस्करों का उत्पादन बंद कर देगा;

ख) सभी उपकरणों या उपस्करों पर विशिष्ट क्रमांकित लेबल चिपकाए जाएंगे;

ग) कम से कम तीन माह पहले प्रारंभिक उपाय (डीलर जागरूकता और उपभोक्ता शिक्षा) आरम्भ कर सकते हैं।

8. लेबल प्रदर्शन की अनुमति हेतु आवेदन- (1) **पूर्व अनुमोदन:** किसी भी उपकरण अथवा उपस्कर पर कोई लेबल, ब्यूरो से लिखित पूर्व अनुमति के बिना नहीं लगाया जाएगा।

(2) **कंपनी पंजीकरण:** प्रत्येक कंपनी ब्यूरो के साथ अलग से पंजीकरण करेगी और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबलिंग शुल्क) विनियम, 2025 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगी। कंपनियां प्रत्येक ब्रांड को ब्यूरो के साथ पृथक् रूप से पंजीकृत करेंगी।

(3) **उपकरण श्रेणी पंजीकरण:** किसी उपकरण या उपस्कर को पंजीकृत करने के लिए, पंजीकृत कंपनी को अलग से आवेदन करना होगा, और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबलिंग शुल्क) विनियम, 2025 के अंतर्गत निर्धारित लेबल सुरक्षा जमा के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(4) **लेबल अनुमति:** किसी विशेष उपकरण अथवा उपस्कर के मॉडल पर लेबल लगाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए, पंजीकृत कंपनी को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबलिंग शुल्क) विनियम, 2025 के अंतर्गत निर्धारित लेबल अनुमति शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

9. अनुमति प्रदान करना- (1) **जांच:** ब्यूरो, विनियम 7 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की जांच, मानक और लेबलिंग संबंधी प्रचालन मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर पूरी करेगा।

परंतु ऐसे मामलों में, जहां प्राप्त आवेदनों में विसंगतियां पाई जाती हैं, ब्यूरो इन आवेदनों को आस्थगित कर देगा तथा आवेदकों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए अधिकतम 60 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, इसमें विफल रहने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

(2) **अनुमोदन:** इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात कि विनियम 7 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन मानक और लेबलिंग संबंधी प्रचालन मैनुअल में निर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं, ब्यूरो:

i. कंपनी और उपकरण या उपस्कर को पंजीकृत करेगा;

ii. अनुमत मॉडलों पर तीन वर्ष की अवधि के लिए विशिष्ट क्रमांकित लेबल लगाने की अनुमति प्रदान करेगा;

iii. परमिटधारक के रजिस्टर में प्रविष्टियां करेगा।

(3) **अनुमति नवीकरण:** अनुमत मॉडल पर लेबल लगाने की अनुमति को नवीकृत करने के लिए, प्रत्येक परमिटधारक को पूर्व में प्रदान की गई ऐसी अनुमति की समाप्ति से पहले ब्यूरो को आवेदन करना होगा और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबलिंग शुल्क) विनियम, 2025 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

किंतु मॉडल पर लेबल लगाने के लिए पूर्व में प्रदान की गई अनुमति की समाप्ति के बाद ही नए आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे।

(4) परमिटधारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा बेचे जाने वाले सभी उपकरणों या उपस्करों पर ऐसे लेबल लगे हों जो उपकरण अथवा उपस्कर के लिए अधिनियम की धारा 14(क) के अंतर्गत अधिसूचित वर्तमान ऊर्जा प्रदर्शन मानक को पूरा करते हों।

(5) यदि अनुमति अवधि के दौरान ऊर्जा प्रदर्शन मानक में संशोधन किया जाता है, तो ब्यूरो परमिटधारक को संशोधित ऊर्जा प्रदर्शन मानक की जानकारी देगा। परमिटधारक, ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद संशोधित ऊर्जा प्रदर्शन मानक के अनुपालन और संशोधित ऊर्जा प्रदर्शन मानक के साथ लेबल चिपकाए जाने की पुष्टि करते हुए ब्यूरो को एक स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा।

(6) **अनुमति का निरसन:** ब्यूरो लेबल लगाने के लिए दी गई अनुमति को निरसित कर सकता है, यदि परमिटधारक:

(क) विनियम 10 के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी निबंधन एवं शर्तों का पालन करने में विफल रहता है;

(ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबलिंग अनुपालन) विनियम, 2025 में यथानिर्दिष्ट अनुपालन परीक्षण संबंधी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।

परन्तु कोई भी अनुमति परमिटधारक को सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द नहीं की जाएगी।

10. लेबल शुल्क- प्रत्येक परमिटधारक को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबलिंग शुल्क) विनियम, 2025 के अंतर्गत निर्धारित लेबल शुल्क का भुगतान करना होगा।

11. लेबल प्रदर्शन के निबंधन एवं शर्तें- प्रत्येक परमिटधारक को:

- क) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित उपकरण विशिष्ट ऊर्जा प्रदर्शन मानक का अनुपालन करना होगा।
- ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबलिंग शुल्क) विनियम, 2025 का अनुपालन करना होगा।
- ग) केवल अनुमत मॉडलों पर ही लेबल लगाना होगा।
- घ) उपकरणों अथवा उपस्करों पर लेबल लगाने की लागत का वहन करना होगा।
- ङ) सुनिश्चित करना होगा कि चिपकाए गए लेबल सुपाठ्य एवं अनुरक्षित हों।
- च) प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक अधिकृत विक्रेताओं की अद्यतन सूची उपलब्ध करानी होगी।
- छ) मौजूदा मानक और लेबलिंग संबंधी प्रचालन मैनुअल में निर्दिष्ट अन्य निबंधन एवं शर्तों का पालन करना होगा।

12. अनुपालन परीक्षण- ब्यूरो अथवा राज्य नामित एजेंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबलिंग अनुपालन) विनियम, 2025 के अनुसार, अधिनियम की धारा 14(क) के अंतर्गत ब्यूरो द्वारा निर्धारित ऊर्जा प्रदर्शन मानक और इन विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन का सत्यापन करेगी।

(2) इन विनियमों के अंतर्गत प्रावधानों के किसी उल्लंघन या अनुपालन न करने की स्थिति में, ब्यूरो अथवा राज्य नामित एजेंसी कार्यवाही आरम्भ करेगी और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबलिंग अनुपालन) विनियम, 2025 के साथ पठित अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ भारत के अधिकार क्षेत्र में लागू किन्हीं अन्य प्रासंगिक कानूनों के अनुसार चूककर्ता परमिटधारकों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी।

13. मानक और लेबलिंग कार्यक्रम संबंधी प्रचालन मैनुअल- (1) ब्यूरो अपनी वेबसाइट पर मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक प्रचालन मैनुअल प्रकाशित करेगा।

(2) मैनुअल में *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i. पंजीकरण, लेबलिंग, अनुपालन परीक्षण, निगरानी, सत्यापन और प्रवर्तन सहित कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया।
- ii. आवेदन, पंजीकरण, अनुमति और नवीनीकरण सहित सभी प्रपत्रों के लिए समय सीमा सहित निर्धारित प्रारूप।

(3) मैनुअल में निहित प्रचालन कार्यविधियां कार्यक्रम में भाग लेने वाली सभी संस्थाओं पर बाध्यकारी होंगी।

आकाश त्रिपाठी, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./227/2025-26]

अनुसूची-I

उपकरणों अथवा उपस्करों की सूची

क्र.सं.	उपकरण अथवा उपस्कर का नाम
1अ.	फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर
1बी.	डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर
1सी.	डीप फ्रीज़र
2अ.	रूम एयर कंडीशनर (निश्चित गति)
2बी.	रूम एयर कंडीशनर (परिवर्तनीय गति)
2सी.	हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर

2डी.	रूम एयर कंडीशनर (कैसेट, फ्लोर स्टैंडिंग टॉवर, सीलिंग, कॉर्नर एसी)
2ई.	चिलर्स
3.	इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप पंखा
4.	स्थिर भंडारण प्रकार इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर
5अ.	रंगीन टेलीविजन
5ब.	अल्ट्रा हाई डेफिनिशन टेलीविजन
6.	वॉशिंग मशीन
7अ.	ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप
7ब.	सेल्फ-बैलास्टेड लैंप
8.	वितरण ट्रांसफार्मर
9.	ग्रिड से जुड़ा सौर इन्वर्टर
10.	सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 10 July, 2025.

No.5506/BEE/S&L/AL/2025-26.—In exercise of the powers conferred by clause (i) and (l) of sub-section (2) of section 58 read with clauses (c) and (d) of Section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau of Energy Efficiency (the Bureau) with the previous approval of the Central Government, proposes to make the Bureau of Energy Efficiency (Appliance Labelling) Regulations, 2025. The proposed draft Regulations are hereby published in the Gazette of India, Extraordinary, as required by sub-section (1) of section 58 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby and inviting their suggestions and objections (if any); and the notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date of their publication in the Gazette of India, Extraordinary;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General, Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, 4th Floor, Sewa Bhawan, R.K. Puram, Sector-1, New Delhi-110 066 through post and email at helpdesk@beeindia.gov.in;

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period of thirty days specified in para 1 above shall be taken into consideration by the Bureau of Energy Efficiency.

Draft Regulations

1. Short title and commencement.-(1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Appliance Labelling) Regulations, 2025.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);
- (b) “Label” means a printed matter, bearing a unique number, affixed to, or displayed on an appliance or equipment as specified in the Bureau of Energy Efficiency (Label Particulars) Regulations, 2025;
- (c) “Label Year” means the year in which the energy performance norms for the appliance category came into effect;
- (d) “Permittee” means a person to whom permission has been granted to affix label on appliances or equipment as specified under Schedule I of this regulation by the Bureau;
- (e) “Person” means and includes any individual, association or body of persons, partnership firm, limited liability partnership and company, whether incorporated or not;
- (f) “Star Rating or Star Level” means the level of energy performance displayed on the label of the appliance or equipment based on their respective notification issued by the Central Government under clause (a) of Section 14 of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Objective.- These objective of these regulations is to establish a comprehensive framework governing the display of essential information on labels, including their particulars, manner, and time limits, to establish the process for applying for and granting permission to affix such labels and to provide for compliance testing and label fees.

4. Applicability.-These regulations shall be applicable to all appliances or equipment as specified under Schedule I annexed to this Regulation.

5. Particulars to be displayed on label.-(1) On every appliance or equipment, the following particulars shall be displayed on its label, namely: -

- a) Unique Number of Label;
- b) Name of Appliance/equipment;
- c) Name of brand;

- d) Model Number;
- e) Energy Performance Parameter;
- f) Label Year;
- g) Rated Capacity;
- h) Star Level or Endorsement;
- i) Validity
- j) Country of Origin
- k) Serial Number of appliance or equipment, if applicable.

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Bureau of Energy Efficiency (Label Particulars) Regulation, 2025 as amended from time to time.

6.Manner of display of label.- (1) There shall be a label along with Quick Response (QR) code embedded with information required under Regulation 4 above on every appliance or equipment.

(2) The Permittee shall ensure that the label is:

- (a) easily visible; and
- (b) appears on every registered unit or model at point of sale; and
- (c) printed or pasted on the packaging box of the unit or model.

(3) The label along with Quick Response (QR) code shall be of self-adhesive material. The markings required as per the Bureau of Energy Efficiency (Label Particulars) Regulation, 2025 shall be legible, indelible and durable.

7. Time limit for display of labels.-(1) **Transition from Voluntary to Mandatory Regime:**A label, in accordance with regulation 4, shall be displayed on every appliance or equipment within six months from the date these regulations or amendment to this regulation comes into effect.

(2) **Revision of Mandatory Energy Performance Standards:**When revised energy performance standards for an appliance or equipment, notified by the Central Government, become effective, permittees:

- a) shall stop production of appliances or equipment under the expired standards;
- b) shall affix uniquely numbered labels to all appliances or equipment;
- c) may begin preparatory measures (dealer awareness and consumer education) at least three months in advance.

8. Application for Permission for Label Display.-(1) **Prior Approval:** No label on any appliance or equipment shall be affixed without prior written permission from the Bureau.

(2) **Company Registration:** Each company shall register separately with the Bureau and shall submit an application accompanied by a fee as prescribed under the Bureau of Energy Efficiency (Labelling Fees) Regulations, 2025. Companies shall register each brand separately with the Bureau.

(3) **Appliance Category Registration:** To register an appliance or equipment, a registered company shall apply separately, and shall submit an application accompanied by a Label Security Deposit as prescribed under the Bureau of Energy Efficiency (Labelling Fees) Regulations, 2025.

(4) **Label Permission:** To obtain permission to affix label on a model of a particular appliance or equipment, a registered company shall submit an application accompanied by a label permission fee as prescribed under the Bureau of Energy Efficiency (Labelling Fees) Regulations, 2025.

9. Grant of Permission.-(1)Scrutiny: The Bureau shall complete the scrutiny of applications received under Regulation 7 as per procedure laid down in the Operational Manual on Standards and Labelling within a period not exceeding 30 working days from the date of receipt of applications.

Provided that in cases, where discrepancies are found in the applications received, the Bureau shall put these applications on hold and shall provide the applicants a period not exceeding 60 days to take suitable action failing which the application shall be cancelled.

(2) **Approval:** After being satisfied that the applications received under Regulation 7 comply with all the requirements specified in Operational Manual on Standards and Labelling, the Bureau shall:

- i. Register the Company and Appliance(s) or equipment;
- ii. Grant Permission to affix uniquely numbered labels on permitted models for a period of three years;
- iii. Make entries in the Permittee Register.

(3) **Permission Renewal:** To renew permission for continuance to affix label on the permitted model, each permittee shall before the expiry of such permission previously granted, apply to the Bureau and submit an application accompanied by a fee as prescribed under the Bureau of Energy Efficiency (Labelling Fees) Regulations, 2025.

Provided that fresh applications shall be submitted after expiry of permission previously granted to affix labels on model.

(4) Permittees shall ensure that all appliances or equipment they sell are affixed with labels that meet the current energy performance standards notified under section 14(a) of the Act for the appliance or equipment.

(5) If energy performance standards are revised during the permission period, the Bureau shall inform the revised energy performance standards to the permittee. The permittees after the receipt of such information, shall submit a self-declaration form to the Bureau confirming compliance with revised energy performance standards and affixation of labels with revised energy performance standards.

(6) **Revocation of Permission:** The Bureau may revoke permissions granted for affixing labels, if the permittee:

- (a) Fails to comply with any terms and conditions specified under Regulation 10;
- (c) Fails to comply with the directions on compliance testing as specified in Bureau of Energy Efficiency (Labelling Compliance) Regulations, 2025.

Provided that no permission shall be revoked without giving the permittee an opportunity to be heard.

10. Label Fee.-Each permittee shall pay to the Bureau a label fee as prescribed under the Bureau of Energy Efficiency (Labelling Fees) Regulations, 2025.

11. Terms and conditions of Label Display.-Every permittee, shall:

- a) Comply with the appliance specific energy performance standards notified by the Central Government.
- b) Comply with Bureau of Energy Efficiency (Labelling Fees) Regulations, 2025.
- c) Affix labels only to permitted models.
- d) Bear the cost of affixing labels to appliances or equipment.
- e) Ensure that the affixed labels are legible and maintained.
- f) Provide an updated list of authorized sellers by 30th April of each year.
- g) Comply with such other terms and conditions as may be specified in the extant Operational Manual on Standards and Labelling.

12. Compliance Testing.- The Bureau or State Designated Agency shall verify compliance, with the energy performance standards prescribed by the Bureau under section 14(a) of the Act and with the provisions of these regulations, in accordance with the Bureau of Energy Efficiency (Labelling Compliance) Regulations, 2025.

(2) In the event of any contravention or non-compliance with the provisions under these regulations, the Bureau or State Designated Agency shall initiate proceedings and take action against the defaulting permittees in accordance with the provisions of the Act read with the Bureau of Energy Efficiency (Labelling Compliance) Regulations, 2025 as well as any other relevant laws applicable within the jurisdiction of India.

13. Operational Manual on Standards and Labelling Programme.-(1) The Bureau shall publish on its website an Operational Manual for the implementation of the Standards and Labelling programme.

(2) The manual shall, *inter-alia*, include the following:

- i. Procedure for implementing the program including registration, labelling, compliance testing, monitoring, verification and enforcement.
- ii. Prescribed formats for all forms, including applications, registrations, permissions and renewals along with timelines.

(3) The operational procedures contained in the manual shall be binding on all participating entities in the programme.

AKASH TRIPATHI, Director General
[ADVT.-III/4/Exty./227/2025-26]

Schedule-I

List of Appliances or Equipment

S.No.	Name of Appliance or Equipment
-------	--------------------------------

1a.	Frost Free Refrigerator
1b.	Direct Cool Refrigerator
1c.	Deep Freezers
2a.	Room Air Conditioners(Fixed Speed)
2b.	Room Air Conditioners(Variable Speed)
2c.	Light Commercial Air Conditioners
2d.	Room Air Conditioner (Cassette, Floor Standing Tower, Ceiling, Corner AC)
2e.	Chillers
3.	Electric Ceiling Type Fan
.4.	Stationary Storage Type Electric Water Heater
5a.	Colour Television
5b.	Ultra High Definition Televisions
.6.	Washing Machine
7a.	Tubular Fluorescent Lamps
7b.	Self-Ballasted Lamps
8.	Distribution Transformers
9.	Grid Connected Solar Inverter
10.	Solar Photovoltaic Modules